कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा

पत्रांक / 12137-42 / 2019–20 दिनांक 29-02-2020

प्रबन्धक

ब्राइटलेण्ड पब्लिक स्कूल निधौली खुर्द

सकीट

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय / महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के कम में मान्यता समिति की दिनांक 26–02–2020 की वैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या 89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ब्राइटलेण्ड पब्लिक स्कूल निधौली खुर्द सकीट (ॲग्रेजी माध्यम) को दिनांक 01 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक संचालन हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता / सवधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकार अधिनियम 2010 उपाबन्ध 1 और निशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 उपाबन्ध 2 के उपवन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत एवं पास पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों कों प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्टि बालकों के लिये विद्यालयों को धारा 12की उपधारा 2 के उपवन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा, ऐसी प्रर्तिपूर्तियाँ प्राप्त करने क लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी वालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

(I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(II) किसी भी वालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थिओं को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ कर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयकम का पालन होगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ठ विद्यालय के मानकों और संनियमों को वनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार है–

कीडा–स्थल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार कक्ष, वालक और वालिकाओं के लिये पृथक–पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड डे मील पकाने के लिये रसोई बाधाररहित पहुँच, अध्यापन पठन सामग्री / कीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके वाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाये।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तिओं के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक जो दिया गया है, कृपया नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय यपर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
16. सोसायटी के रजिस्टीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17. स्कूल सुरक्षा नीति के अनुसार –

विद्यालय स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा किट रखी जाये, जिसमें आवश्यक दवाओं के साथ प्राथमिक उपचार के उपकरण एवं सामग्री भी उपलब्ध हो, सुनिश्चित किया जाये कि दवाओं की एक्सपायरी की समय–समय पर जॉच हो।

अति ज्वलनशील सामग्री जैसे कैरोसिन आयल, तेजाव, पेट्रोल एवं एल0पी0जी0 गैस सभी सुरक्षित तरीके से स्टोर में तथा बच्चों से दूर हो।

प्रत्येक विद्यालय में इमरजैन्सी नम्बरों यथा पुलिस के लिये 100, अग्निशमन केन्द्र के लिये 101, एम्बूलेन्स के लिये 102, इमरजेन्सी के लिये 108, महिला हैल्पलाइन के लिये 1090 एवं चाइल्ड लाईन के लिये 1098 नम्बर के साथ–साथ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों के नम्बर विद्यालयों की दीवारों पर अंकित कराये जाये।

विद्यालय प्रबन्ध समिति को विद्यालय सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा से जुडे मुददों पर प्रशिक्षित कर दक्ष वनाया जायेगा।

विद्यालय स्तर पर शिक्षकों एवं बच्चों को मिलाकर विभिन्न प्रकार के टास्क फोर्स जैसे खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा, सूचना चेतावनी एवं जनजागरूकता, जल स्वच्छता एव बाल सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन कराया जाये।

प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय आपदा समिति का गठन कराया जायेगा और समय समय पर विद्यालय आपदा प्रवन्ध समिति की वैठक आहूत की जायेगी जिसमें आपदा एव वाल सुरक्षा से जुडे मुछ्दे एवं इनसे वचाव के उपायों पर चर्चा की जायेगी एवं प्रभावी रणनीति बनायी जायेगी।

18. संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्ते।

A शासनादेश में नियत मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक एवं कर्मचारी पद अनुमन्य होगें।

Bविद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित (अॅग्रेजी माध्यम) पाठयकम से भिन्न पाठयकम में न तो शिक्षा दी जायेगी न तो पाठय पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

Cविद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगां

Dशासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने एवं गलत तथ्यों के प्रकाश में आने की स्थिति मे मान्यता प्रत्याहरण/समाप्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

(संजय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा 29/02/2020

पृ0सं0/ ________ /2019–20 दिनांक वही।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ
2–सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अलीगढ
4–जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी एटा।
5– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा

पत्रांक / ———————— /2020–21 दिनांक 09-02-2021

प्रबन्धक

ब्राइट लैन्ड पब्लिक स्कूल शिकोहावाद रोड निधौली खुर्द सकीट एटा।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के क्रम में मान्यता समिति की दिनांक 30.01.2021 की वैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या 89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या 196 / अडसठ–3–2020–41 / 2018 दिनांक 29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **ब्राइट लैन्ड पब्लिक स्कूल शिकोहावाद रोड निधौली खुर्द सकीट एटा** (अॅग्रेजी माध्यम) को दिनांक 01 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सबधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकार अधिनियम 2010 उपाबन्ध 1 और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 उपाबन्ध 2 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत एवं पास पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों कों प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्टि बालकों के लिये विद्यालयों को धारा 12की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा, ऐसी प्रर्तिपूर्तियॉ प्राप्त करने क लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी वालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

(I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(II) किसी भी वालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थिओं को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ कर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयकम का पालन होगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को वनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार है–

कीडा–स्थल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार कक्ष, वालक और वालिकाओं के लिये प्रथक–प्रथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड डे मील पकाने के लिये रसोई बाधाररहित पहुॅच, अध्यापन पठन सामग्री / कीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके वाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाये।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तिओं के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक जो दिया गया है, कृपया नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय यपर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
16. सोसायटी के रजिस्टीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17. स्कूल सुरक्षा नीति के अनुसार –

विद्यालय स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा किट रखी जाये, जिसमें आवश्यक दवाओं के साथ प्राथमिक उपचार के उपकरण एवं सामग्री भी उपलब्ध हो, सुनिश्चित किया जाये कि दवाओं की एक्सपायरी की समय–समय पर जॉच हो।

अति ज्वलनशील सामग्री जैसे कैरोसिन आयल, तेज़ाव, पेट्रोल एवं एल0पी0जी0 गैस सभी सुरक्षित तरीके से स्टोर में तथा बच्चों से दूर हो।

प्रत्येक विद्यालय में इमरजैन्सी नम्बरों यथा पुलिस के लिये 100, अग्निशमन केन्द्र के लिये 101, एम्बूलेन्स के लिये 102, इमरजेन्सी के लिये 108, महिला हैल्पलाइन के लिये 1090 एवं चाइल्ड लाईन के लिये 1098 नम्बर के साथ–साथ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों के नम्बर विद्यालयों की दीवारों पर अंकित कराये जाये।

विद्यालय प्रबन्ध समिति को विद्यालय सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा से जुडे मुददों पर प्रशिक्षित कर दक्ष बनाया जायेगा।

विद्यालय स्तर पर शिक्षकों एवं बच्चों को मिलाकर विभिन्न प्रकार के टास्क फोर्स जैसे खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा, सूचना चेतावनी एवं जनजागरूकता, जल स्वच्छता एव बाल सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन कराया जाये।

प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय आपदा समिति का गठन कराया जायेगा और समय समय पर विद्यालय आपदा प्रबन्ध समिति की वैठक आहूत की जायेगी जिसमें आपदा एव वाल सुरक्षा से जुडे मुछ्दे एवं इनसे वचाव के उपायों पर चर्चा की जायेगी एवं प्रभावी रणनीति बनायी जायेगी।

18. संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्ते।

A शासनादेश में नियत मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक एवं कर्मचारी पद अनुमन्य होगें।

Bविद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित (अॅग्रेजी माध्यम) पाठयकम से भिन्न पाठयकम में न तो शिक्षा दी जायेगी न तो पाठय पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

Cविद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगां

Dशासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने एवं गलत तथ्यों के प्रकाश में आने की स्थिति मे मान्यता प्रत्याहरण/समाप्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

(संजय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा

पृ0सं0/6387-92 /2020–21 दिनांक वही।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ
2–सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अलीगढ
4–जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी एटा।
5– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा

Scanned with CamScanner